कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन "ग" विगं, भू–तल,भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष–1/ 1291 /भोपालःदिनांक 26-4-05

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

(क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश ।

विषय :– वन अपराधों में लिप्त वाहनों के राजसात की कार्यवाही ।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमॉक/कक्ष–1/385 दिनांक 24–2–2004

इस कार्यालय के संदर्भाकित पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया था कि वन अपराधों में लिप्त होने के कारण जप्त किये गये वाहनों के राजसात की कार्यवाही 3 माह के अन्दर पूर्ण की जाय। कृपया आप लोग इन निर्देशों के पालन की समीक्षा करें एवं सुनिश्चित करें कि राजसात की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब न हो । साथ ही यह भी देखें कि जप्त किये गये वाहन , राजसात प्रक्रिया में विलंब होने से , या राजसात होने के उपरान्त अनावश्यक खराब न हों ताकि उनके विक्रय से उचित मूल्य प्राप्त हो सके । कृपया आप अपने अधिनस्थ कार्यालयों को कड़े निदेश जारी करें कि राजसात वाहनों के निर्वतन की प्रक्रिया सतत रुप से की जाय एवं जैसे ही कोई वाहन अंतिम रुप से राजसात हो जाता है तो उसे शासकीय उपयोग में लेने या उसके विक्रय से निर्वतन की कार्यवाही अविलंब की जाय ।

कृपया यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राजसात के प्रत्येक आदेश एवं अपील के निर्णय की प्रतिलिपि इस कार्यालय को भी दी जावे।

26/4/05

(डॉ0 एच एस पाबला)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश